रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273345
CG-DL-E-11062026-273345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948
No. 386] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISHTHA 19, 1948

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

फा.सं. JNU/Acad.III/3(17)/2026 .—आम सूचना के लिए निम्नलिखित प्रकाशित किया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 (1966 का 53) की धारा/परिनियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्य परिषद, कुलाध्यक्ष (विजिटर) की स्वीकृति से, एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिनियम, 1966 में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

1. (1) ये परिनियम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2026 कहे जा सकेंगे।
   (2) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम, 1966 में परिनियम 13 (कार्य परिषद) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

13 (1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात्

(i) कुलपति, *पदेन;*

(ii) (क) कुलदेशिक, *पदेन;*

(ख) सचिव(उच्चतर शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामिती, पदेन;

(iii) डीन (छात्र), *पदेन;*

(iv) आठ अध्ययन स्कूलों के डीन से अनधिक जिन्हें निम्नानुसार नामित किया जाए:

(क) अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, सामाजिक विज्ञान संस्थान, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान, जीवन विज्ञान संस्थान तथा इंजीनियरी संस्थान के पांच डीन कार्य परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

(ख) निम्नलिखित छह स्कूलों में से वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर नामित दो डीन: कला एवं सौंदर्यशास्त्र संस्थान; कंप्यूटर एवं सिस्टम्स विज्ञान संस्थान; पर्यावरण विज्ञान संस्थान; भौतिक विज्ञान संस्थान; सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (अब, संगणकीय एवं समेकित विज्ञान संस्थान) तथा जैवप्रौद्योगिकी संस्थान।

(ग) निम्नलिखित दो स्कूलों में से वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर नामित एक डीन: प्रबंधन तथा उद्यमिता संस्थान (अब, अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन तथा उद्यमिता संस्थान) तथा संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान।

(iv क) एक विशेष केंद्राध्यक्ष, वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन द्वारा।

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित चार व्यक्ति;

(vi) विश्वविद्यालय के तीन शिक्षक – एक प्रोफेसर/वरिष्ठ फेलो, एक एसोसिएट प्रोफेसर/फेलो तथा एक सहायक प्रोफेसर – जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा संबंधित श्रेणियों से चुना जाएगा।

परन्तु शर्त यह है कि कुलदेशिक एवं डीन पद पर कार्यरत शिक्षक इस चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vii) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित कोर्ट के तीन सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध/मान्यताप्राप्त संस्थान का कर्मचारी नहीं होगा;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या इससे संबद्ध संस्थानों के प्रमुखों की संख्या जो कुलाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए तथा उनके द्वारा नामित की जाए;

परन्तु शर्त यह है कि उच्च शिक्षा एवं शोध से संबंधित संस्थाओं से दो व्यक्तियों से अनधिक जो कुलाध्यक्ष द्वारा 17 जुलाई 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जाएँ।

(2) कार्य परिषद के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

परन्तु शर्त यह है कि खंड (1) की मद संख्या (vi) एवं (vii) में उल्लिखित सदस्य क्रमशः डीन एवं कोर्ट के सदस्य नहीं रहने पर कार्य परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे।

परन्तु यह शर्त और है कि खंड (1) की मद संख्या (vi) एवं (vii) में उल्लिखित सदस्य जिन्हें 1972 में नामित किया गया था, निम्न स्थितियों में कार्य परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे; यदि

(i) कोर्ट एवं विद्या परिषद का गठन क्रमशः परिनियम 11 एवं 15 के अनुसार होता है;तथा

(ii) निम्नलिखित सभी सात अध्ययन स्कूल 16 जुलाई 1974 से पूर्व कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं:

(क) सामाजिक विज्ञान संस्थान

(ख) अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान

(ग) जीवन विज्ञान संस्थान

(घ) भाषा संस्थान (अब, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान)

(ड.) कंप्यूटर एवं सिस्टम्ज विज्ञान संस्थान

(च) पर्यावरण विज्ञान संस्थान

(छ) सृजनात्मक कला संस्थान (अब, कला एवं सौंदर्यशास्त्र संस्थान)

(3) कार्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति या नामांकन की तिथि, यथास्थिति, से प्रारंभ होगा।

(4) कार्य परिषद के एक-तिहाई सदस्य गणपूर्ति (कोरम) का गठन करेंगें।

प्रो. रविकेश, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./155/2026-27]

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

F. No. JNU/Acad.III/3(17)/2026.—The following is published for general information

In exercise of the powers conferred by Act/Statute 16 of the Jawaharlal Nehru University Act 1966 (53 of 1966), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby make the following amendments further to amend the Jawaharlal Nehru University Statutes 1966, namely: -

1. (1) These Statues may be called the Jawaharlal Nehru University (Amendment) Statutes, 2026.

(2) They shall come force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Jawaharlal Nehru University Act/Statute, 1966, Statute 13 (Executive Council) shall be read as under: -

13 (1) The Executive Council shall consist of the following members namely:-

(i) The Vice-Chancellor, *ex-officio;*

(ii) (a) The Rector, *ex-officio;*

(b) The Secretary (Higher Education), Ministry of Education, Government of India or his/her nominee, ex-officio;

(iii) The Dean of Students, *ex-officio;*

(iv) "Not more than Eight Deans of Schools of Studies to be nominated as under: -

(a) Five Deans belonging to School of International Studies, School of Social Sciences, School of Language, Literature and Culture Studies, School of Life Sciences and School of Engineering will be the ex-officio members of the Executive Council".

(b) Two Deans from amongst the following six Schools, to be nominated by rotation, in order of seniority; School of Arts and Aesthetics; School of Computer and Systems Sciences; School of Environmental Sciences; School of Physical Sciences; School of Information Technology (now School of Computational and Integrative Sciences) and School of Biotechnology".

(c) One Dean from the following two schools to be nominated by rotation in order of seniority; School of Management and Entrepreneurship (now Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship) and School of Sanskrit and Indic Studies.

(iv A) One Chairperson of the Special Centre by rotation, in order of seniority.

(v) Four persons nominated by the Visitor;

(vi) Three teachers of the University i.e. one Professor/ Sr.Fellow, One Associate Professor/Fellow and One Assistant Professor elected by and from amongst the respective categories of teachers through direct elections in accordance with the rules laid down by the University.

Provided further that the faculty members holding the position of Rector, Dean will not be eligible for election.

(vii) Three members of the Court, nominated by the Visitor, none of whom shall be an employee of the University or an institution recognised by or associated with the University;

(viii) Such number of Heads of institutions recognised by, or associated with, the University, as may be determined by the Visitor from time to time and nominated by him:

Provided that not more than two persons who are associated with institutions of higher learning and research may be nominated by the Visitor for a period of two years from 17th July, 1972.

(2) The members of the Executive Council shall hold office for a term of two years:

Provided that the members referred to in items (vi) and (vii) of clause (1) shall cease to be members of the Executive Council when they cease to be Deans and members of the Court respectively:

Provided further that the members referred to in items (vi) and (vii) of Clause (1) who are nominated in 1972 shall cease to be such members of the Executive Council, if -

(i) the Court and the Academic Council are constituted in terms of Statutes 11 and 15 respectively, and

(ii) all the following seven Schools of Studies begin to function before the 16th July, 1974, namely:

(a) The School of Social Sciences
(b) The School of International Studies
(c) The School of Life Sciences
(d) The School of Languages (now School of Language, Literature and Culture Studies)
(e) The School of Computer and Systems Sciences
(f) The School of Environmental Sciences.
(g) The School of Creative Arts (now School of Arts and Aesthetics).

(3) The term of office of the members of the Executive Council shall commence from the date of appointment, or nomination, as the case may be.

(4) One third of the members of the Executive Council shall form the quorum.

Prof. RAVIKESH, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./155/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.11 16:38:44 +05'30'